



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122025-268837
CG-DL-E-27122025-268837

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5830]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 26, 2025/पौष 5, 1947

No. 5830]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 26, 2025/PAUSHA 5, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2025

का.आ. 6030(अ).— केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एल.पी.जी. के परिवहन के लिए "कांडला गोरखपुर एल.पी.जी. पाइपलाइन परियोजना" अनुभाग : पिपावाव से दुमाड टर्मिनल के क्रियान्वयन हेतु आई.एच.बी. लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी आवश्यक है।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने हेतु उसमें उपयोग के अधिकार के संबन्ध में श्री अवलाभाई खातराभाई बारीआ, सक्षम प्राधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर (सेवानिवृत्त), "कांडला गोरखपुर एल.पी.जी. पाइपलाइन परियोजना", आई.एच.बी. लिमिटेड, गुजरात को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील:- धोलेरा

जिला:-अहमदाबाद

राज्य:-गुजरात

मौजा / ग्राम	पुराना सर्वे / ब्लाक / सं. (प्लोट सं.)	नया सर्वे / ब्लाक / सं. (प्लोट सं.)	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
धनाला	137	114	00	06	75
	138पै.	108	00	25	93
कमीयाला	147	400	00	11	91
पीपली	366/8	773	00	23	57

[फा. सं. आर-11025(15)/11/2019-ओआर-I-भाग(1)/ई-45901]

शशि शेखर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2025

S.O. 6030(E).—Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of the LPG a pipeline should be laid for implementing “Kandla -Gorakhpur LPG Pipeline Project”, by IHB Limited from Pipavav to Dumad Terminal, in the state of Gujarat.

And, whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user (RoU) in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person who is interested in the land described in the said Schedule, may submit objection in writing to Shri Avalabhai Khatarabhai Baria, Competent Authority and Deputy Collector (Retd), "Kandla Gorakhpur LPG Pipeline Project" IHB Limited, Gujarat within twenty-one days from the date on which the copies of this notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public.

SCHEDULE

Tehsil - Dholera

District:- Ahmedabad

State :- Gujarat

Mouja / Village	Old Survey/Block No.	New Survey/Block No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
Dhanala	137	114	00	06	75
	138P	108	00	25	93
Kamiyala	147	400	00	11	91
Pipali	366/8	773	00	23	57

[F. No. R-11025(15)/11/2019-OR-I-Part(1)/E-45901]

SHASHI SHEKHAR SINGH, Under Secy.